राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010दूरभाष एवं फैक्स: 0522—2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 173 / 241 / एनयूएलएम / तीन / 2001(CB&T)-TC-I दिनांक 23/04/2018

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

विषयः— **"ग्राम स्वराज अभियान" की तर्ज पर नगर निकायों में दिनांक 14.04.2018 से 05.05.2018 के कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में।**

कृपया उपर्युक्त प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग—1, उ0प्र0शासन के पत्र संख्या—853 / 9—1—2018—133सी / 18, दिनांक 12.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों को उक्त अभियान की तर्ज पर नगर निकायों के ऐसे वार्ड जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं से प्रत्येक दशा में संतृप्ति किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

निकायों में वार्ड नं0—1 अनुसूचित जाति / जनजाति का सर्वाधिक संख्या वाला वार्ड होता है। उक्त वार्ड में उक्त अवधि में किये जाने वाले कार्यक्रमों में सूडा, उ0प्र0 द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें निम्नवत् है:—

(1) PMAY(शहरी क्षेत्र)

(2) DAY-NULM के अन्तर्गत संचालित योजनाएं

प्रमुख सचिव के निर्देशों के कम में आप सभी से अनुरोध है कि DAY-NULM के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के विभिन्न घटकों यथा सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास(SM&ID), कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार(EST&P), स्वरोजागर कार्यकम(SEP), शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना(SUH) एवं शहरी पथ विकेता प्लान(SUSV) के अन्तर्गत उक्त वार्ड में अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य में अर्ह लाभार्थियों को स्थानीय आवश्यकता एवं घटक के गाइड लाइन्स के परिप्रेक्ष्य में शत—प्रतिशत संतृप्ति किया जाना नितांत आवश्यक और अपरिहार्य है जैसे उदाहरण स्वरूप SM&ID के अन्तर्गत उस वार्ड में गरीब महिलाओं के समूह बनाये जाय, EST&P के अन्तर्गत बेरोजगार शहरी गरीबों को आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित कराकर स्थाई रोजगार से सम्बद्ध किया जाये। SEP के अन्तर्गत SEP-I & SEP-G, बैंक लिंकेज में चिन्हित पात्र व्यक्तियों / समूहों को अनुदान आधारित ऋण दिलाना, SUSV के अन्तर्गत Street Vendor को फेरी नीति के तहत समुचित लाभ दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराते हुए उक्त वार्ड को योजनान्तर्गत पूर्ण रूप से अभियान की तिथि में संतृप्ति किया जाये। इस कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरी को नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि अभियान के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों / प्रक्रियाओं के माध्यम से योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु आकड़ा आधारित कार्ययोजना बनाकर विभिन्न घटकों से लाभान्वित किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 14.04.2018 से 05.05.2018 तक की अवधि में समयबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही कराते हुए दैनिक आधार पर आख्या तैयार की

जाय तथा अभियान के अंतिम दिवसों में दैनिक आख्या को संकलित कर संलग्न प्रारूप पर आख्या ई–मेल nulmup@gmail.com के माध्यम से इस कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक–यथोपरि।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक, सी0एम0एम0यू0, उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4. सहा0 वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक